

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.2(1)नवि/II/2009

जयपुर, दिनांक : 26 JUL 2019


आज्ञा

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम 24(2) के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की दिनांक 15.07.2019 को आयोजित बैठक की अभिशंषा के अनुसार, निम्नांकित वरिष्ठ नगर नियोजक को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के पद पर, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	चयन वर्ष	रिक्ति तिथि
1.	श्री संदीप दण्डवते	2019-20	01.05.2019

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्यभार-ग्रहण कर रिपोर्ट मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को भिजवायेंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे।

राज्यपाल को आज्ञा सैं,



(मगन लाल योगी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. विधि सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारीगण द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय